

परिसम्पत्तियों के निर्माण किये जाने हेतु अन्डरटेकिंग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह काँवड़ मार्ग के नये निर्माण हेतु गंगा नहर की दांयी पटरी के कि०मी० 108.750 से कि०मी० 151.050 तक की 84.600 है० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी कार्य से सम्बन्धित प्रकरण में सरधना रेंज परिसर की प्रभावित होने वाली परिसम्पत्तियों को निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा स्वयं की देखरेख में विभागीय स्तर पर स्वयं के व्यय पर परियोजना से प्रभावित होने वाले परिसम्पत्तियों का निर्माण कार्य कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरधना यदि कार्यालय/आवासों की सुरक्षा की दृष्टि से जो अतिरिक्त निर्माण, जैसे मिट्टी भरान, परिसर की बाउन्ड्रीवाल, एवं स्कैप चैनल इत्यादि का निर्माण कराना चाहेंगे, तो इसके लिये भी निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, मेरठ प्रतिबद्ध रहेगा एवं इस हेतु वचनबद्ध है।

C/S

08/7/21
प्रभागीय निदेशक (राजेश कुमार)
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।

(सी०पी० सिंह)
अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग,
मेरठ।